

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

दिनांक	फर्द अहकाम	
--------	------------	--

23 ⁹/₂₅ पत्रावली पेश हुई। पीटासीन अधिकारी
राजकार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्वानुसार
दिनांक 28.10.25 को पेश है।

28 ¹⁰/₂₅ पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज

दिलाने पर भी कारीगण एवं उनके

अधिवक्ता उप. नहीं हुए। अतः मु० नं.

58/17 उन्वान श्रीमती बनाम बाबू

रावा बाबत तनस्मा एवं स्थायी

निबेध्याना अदम पैरवी अदम हाजिरी में

धारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल

शुमार होकर बाद तमील नं. से कम

की जाकर डाखिल रफ्तार हो।

आदेश युले न्यायालय में

सुनाया गया।